"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 जुलाई 2006—आषाढ़ 14, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/75/2006/वा.कर (पं.)/पांच (62).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (I) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-657-VI-R-78 दिनांक 15-9-1978, क्रमांक-775-1155-VI-R दिनांक 24-10-1980, क्रमांक-F-4-1-1981-VI-R दिनांक 22-3-1982, क्रमांक-F-4-1-1981-VI-R दिनांक 8-4-1982, क्रमांक-41-B-4-46-92-C.T.V. दिनांक 5-12-1997 तथा क्रमांक-(11) बी-4-80-97-वा. कर-पांच, दिनांक 17-2-2000 को अधिक्रमित करते हुये, किसी भूमि स्वामी अथवा रेवेन्यु बुक सरकुलर IV-3-10 के अधीन पट्टाधारी व्यक्ति के द्वारा, कृषि प्रयोजनार्थ बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु निष्पादित बंधक विलेखों, आडमान विलेखों तथा बंधक संपत्ति पर अतिरिक्त भार के विलेख पर, निम्नानुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य करने का निर्देश देती है :—

(i)	जब ऋण ग्रहिता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हो;	-	निरंक
(ii)	जब ऋण ग्रहिता उपरोक्त (i) के अंतर्गत न आते हों, तथा जब ऋण की राशि रुपये दस लाख से अधिक न हो;	-	निरंक
(iii)	जब ऋण ग्रहिता उपरोक्त (i) के अंतर्गत न आते हों, तथा जब ऋण की राशि रुपये दस लाख से अधिक हो;	-	ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम का एक प्रतिशत.

इस अधिसूचना में :—

(क) **"बैंक" से अभिप्रेत है :—**

(एक) दि बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी,

(दो) दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1955 (क्र. 23 सन् 1955) के अधीन गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,

(तीन) दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सब्सीडीयरी बैंक्स) एक्ट, 1959 (क्र. 38 सन् 1959) में यथा परिभाषित सब्सीडीयरी बैंक,

(चार) दि बैकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन तथा ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट, 1970 (क्र. 5 सन् 1971) के अधीन गठित तत्स्थानी नवीन बैंक,

(पांच) दि एग्रीकल्चरल रिफाईनेन्स कार्पोरेशन एक्ट, 1963 (क्र. 10 सन् 1963) के अधीन गठित दि एग्रीकल्चरल रिफाईनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन,

(छः) दि छत्तीसगढ़ एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर,

(सात) दि कम्पनीज एक्ट, 1956 (क्र. 1 सन् 1956) के अधीन निगमित एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड,

(आठ) रीजनल रूरल बैंक एक्ट, 1976 (क्र. 21 सन् 1976) की धारा 3 की उपधारा के अधीन स्थापित रीजनल रूरल बैंक,

(नौ) छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्र. 20 सन् 2000) की धारा 2 के खण्ड (ख), (ग) एवं (ङ) के अंतर्गत पंजीकृत विकास बैंक,

(दस) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 2 के खण्ड (डी-एक) के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी बैंक.

(ख) **"कृषि प्रयोजन" से अभिप्रेत है :—**

भूमि को खेती योग्य बनाना, भूमि पर खेती करना, भूमि का विकास, जिसमें सिंचाई के स्रोतों का विकास सम्मिलित है, फसलें उगाना एवं उनकी कटाई, उद्यान, कृषि वन विज्ञान, रोपण तथा कृषि कर्म, पशु अभिजनन, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, बीज कृषि, मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, शूकर पालन एवं कुक्कुट पालन और किसी भी ऐसे क्रियाकलाप के संबंधों में उपकरणों तथा मशीनरी (ट्रक, मिनी ट्रक, जीप, मेटाडोर एवं ड्रिलिंग मशीन को छोड़कर) का अर्जन.

उक्त अधिसूचना इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2006

क्रमांक एफ-10/75/2006/वा. कर (पं.)/पांच (62).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/75/2006/वा.कर (पं.)/पांच (62), दिनांक 5-7-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th July 2006

NOTIFICATION

No. F-10/75/2006/CT/(R)/V (62).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (I) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), in supersession of this Department's Notification Nos. 657-VI-R-78 dated 15-9-1978, 775-1155-VI-R dated 24-10-1980, F-4-1-1981-VI-R dated 22-3-1982, F-4-1-1981-VI-R dated 8-4-1982, 41-B-4-46-92-C.T.V. dated 5-12-1997 and (11) B-4-80-97-CT-V dated 17-2-2000 the State Government hereby directs that, the stamp duty chargeable on deeds of mortgage, hypothecation and deeds of further charge on mortgaged property, executed by a bhumiswami or a person holding land as pattadhari under Revenue Book Circular IV-3-10 in favour of bank for securing loans for agricultural purposes shall be as under :—

(i)	When the borrower belongs to scheduled caste or scheduled tribe;	-	Nil
(ii)	When the borrower is not covered by (i), and the amount of loan does not exceed ten lakh rupees;	-	Nil
(iii)	When the borrower is not covered by (i), and the amount of loan exceeds ten lakh rupees.	-	One percent of the amount secured by such deed.

Explanation—In this notification :—

(a) **"Bank" means :—**

(i) a banking company defined in the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949);

(ii) the State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955 (No. 23 of 1955);

(iii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (No. 38 of 1959);

(iv) a corresponding new bank, constituted under the Banking companies (Acquisition, Transfer of undertakings) Act, 1970 (No. 5 of 1971);

(v) the agricultural Refinance Corporation constituted under the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 (No. 10 of 1963);

(vi) the Chhattisgarh State Agro Industries Development Corporation Ltd. Raipur;

(vii) Agricultural Finance Corporation Ltd. a company incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 10 of 1956);

(viii) a Regional Rural Bank established under sub-section (1) of section 3 of Regional Rural Bank Act, 1976 (No. 21 of 1976);

(ix) a Development Bank within the meaning of clause (b), (c) and (e) of Section 2 of the Chhattisgarh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam, 1999 (No. 20 of 2000) of the said Act ;

(x) a registered Sahakari Bank within the meaning of clause (d-1) of Section 2 of the Chhattisgarh Co-operative Society Act, 1960 (No. 17 of 1961) of the said Act.

(b) "Agricultural purposes" means :—

Making land fit for cultivation of land, improvement of land including development of sources of irrigation. raising and harvesting of crops, horticulture, forestry, planting and farming, cattle breeding, animal husbandry, dairy farming, seed farming, apiculture, pisciculture, sericulture, piggery and poultry farm farming and the acquisition of implements and machinery (excluding Truck, Mini Truck, Jeep, Matador and Drilling Machine) in connection with any such activity.

This notification will come into effect from the date of it's publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/75/2006/वा.कर (पं.)/पांच (63).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 23 के कॉलम (2) में परन्तुक-(क) में उपदर्शित कंपनियों के समामेलन अथवा पुनर्गठन से संबंधित किसी एक लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा दस करोड़ रुपये निर्धारित करती है, जब प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की रकम इस रकम से अधिक हो.

2. उक्त अधिसूचना इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2006

क्रमांक एफ-10/75/2006/वा. कर (पं.)/पांच (63).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/75/2006/वा.कर (पं.)/पांच (63), दिनांक 5-7-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th July 2006

NOTIFICATION

No. F-10/75/2006/CT/(R)/V (63).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government hereby directs the stamp duty, chargeable on a single instrument of amalgamation or reconstruction of companies under proviso (a) of column (2) of article 23 of Schedule 1-A of the said Act, shall not exceed rupees ten crores, when the amount chargeable exceeds that amount.

2. This notification will come into effect from the date of it's publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.